हरियाणा सरकार

प्राथमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

को

वर्ष 1993-94

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

शुद्धि पत्र

पृष्ठ	पैरा/पंक्ति	छपा है	पढ़ा जाये
2	शीर्षक/2	विधालय	विद्यालय
2	4/2	अंतगर्त	अंतर्गत
5	-/13	आयु र्ग	आयु वर्ग
6	2/9	पंचवशीय	पंचवर्षीय
7	1/5	छाख	छात्र
8	2/4	सहित्य	साहित्य
9	1/4	कार्यान्वित	कार्यान्वयन
9	2/2	कार्यक्रक	कार्यक्रम
10	3/1	प्रामिक	प्राथमिक

Review of Annual Administrative Report of the Primary Education Department for the year 1993-94

.. Keeping in view the vital importance of Education in the reconstruction of society, the Department of Primary Education has been making all out efforts to bring all children in the age group of 6-11 years into the fold of Primary Education so as also to achieve the target of Universalisation of Primary Education. Primary Schooling facilities are now available within a walking distance in the State.

:. During the year 1993-94, 27 pre-Primary Schools/Balwaris and 5684 Primary Schools were functioning in the State.. The total number of Children studying at pre-Primary and Primary Stages was 14841 and 1935505 respectively. The all over percentage of School going Children in the age group of 6-11 years was 92.82 and this percentage in respect of Scheduled Caste Children was 118.57.

An amount of Rs. 11990 27 lakhs was spent on Primary Education during the year 1993-94. An amount of Rs 326.79 lakhs was given as graat-in-aid to Non-Govt. recognised aided Schools in the State.

With a view to enrolling and retaining Children, particularly Girls, belonging to Scheduled Castes and weaker sections of ociety a number of incentives were given to Children of these ections. An amount of Rs 46.69 lakhs was given to 4.67 lakhs tudents belonging to Scheduled Castes and weaker sections for the purpose of stationery. An Amount of Rs. 178.68 lakhs was spent on giving attendance prizes to 1.49 lakh Girl students belonging to Scheduled Castes and another sum of Rs 102.50 lakhs was spent on providing free cloth for uniforms to 1.15 Lakh Girl Students belonging to Scheduled Castes and weaker

NIEPA DC D09322

sections. A sum of Rs. 23.50 lakhs was spent under Book Bank Scheme on providing free text-books to students of Scheduled Castes/Weaker sections. In order to enroll and retain Children of Nomadic Tribes, an amount of Rs. 38.21 lakhs was spent on giving attendance allowance to 19161 students belonging to these Tribes.

Greater attention was focussed on the quality aspect of education. A number of programmes for improving the quality of education at the primary stage were launched, which included inservice training of teachers/Head teachers and their supervisory officers holding of calligraphic and oral expression competitions at the Block, District and State Level and Schools cleanliness competitions at the Block level so as to bring about all round development in the personality of the Child.

During the year 1993-94, Shri Phool Chand Mulana was the Education Minister, Shri G.V. Gupta was the Financial Commissioner and Secretary to Govt.,Haryana, Education Deptt. and Shri S.S. Kaushal held the Office of the Director Primary Education, Haryana.

R.L. Sudhir

Financial Commissioner & Secretary
to Govt. Haryana Education, Department.

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No .... D - 9322
Date 22-10-96

प्राथमिक शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 1993-94 की समीक्षा

समाज के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा विभाग 6–11 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने हेतु भरसक प्रयत्न कर रहा है ताकि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। राज्य में अब पैदल चल कर जाने की प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।

वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य में 27 प्री-प्राईमरी विद्यालय/बालवाड़ियां और 5684 प्राथमिक विद्यालय थे। प्री-प्राईमरी और प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे बच्चों की संख्या क्रमश: 14841 और 1935505 थी। 6-11 आयु वर्ग में विद्यालय जाने वाले बच्चों की कुल प्रतिशतता 92.82 थी और अनुसूचित जाति के बच्चों के संबंध में यह प्रतिशतता 118.57 थी।

वर्ष 1993-94 के दौरान प्राथमिक शिक्षा पर 11990.27 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। 326.79 लाख रुपये की राशि राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान के रूप में दी गई।

बच्चों को दाखिल करने और उनकी पढ़ाई जारी रखने विशेष कर लड़कियों, अनुसूचित जातियों और राज्य में समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को अनेक प्रोत्साहन दिये गये थे। 46.69 लाख रुपये की राशि अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के 4.67 लाख विद्यार्थियों की लेखन सामग्री की खरीद के लिए दी गई। 178.68 लाख रुपये की राशि अनुसूचित जातियों की 1.49 लाख छात्राओं को उपस्थिति पुरस्कार देने पर खर्च की गई थी और 102.50 लाख रुपये की राशि अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों की 1.15 लाख छात्राओं को वर्दी के लिए मुफ्त कपड़ा देने पर खर्च की गई। अनुसूचित जातियों/कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए पुस्तक बैंक स्कीम के अंतर्गत 23.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। खानाबदोश

कबीलों के बच्चों को दाखिल करने तथा उनको विद्यालय में पढ़ाई जारी रखने के लिए 38.21 लाख रुपये की राशि इन कबीलों के 19161 विद्यार्थियों को उपस्थिति भत्ते देने के लिए खर्च की गई थी।

शिक्षा के गुणात्मक पहलू पर अत्याधिक ध्यान दिया गया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरु किये थे, जिनमें अध्यापकों/प्रधान अध्यापकों और उनके पर्यवेक्षक अधिकारियों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण देना, खण्ड जिला और राज्य स्तर पर सुलेख तथा मौखिक अभिव्यक्ति प्रतियोगिताएं आयोजित करना तथा खण्ड स्तर पर विद्यालय सफाई प्रतियोगिताएं करना शामिल है, ताकि बच्चों के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जा सके।

वर्ष 1993-94 के दौरान श्री फूलचंद मुलाना, शिक्षा मंत्री, श्री जी. वी. गुप्ता, वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार शिक्षा, विभाग, और श्री एस० एस० कौशल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा रहे।

आर० एल० सुधीर,
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग।

वर्ष 1993–94 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय–पहला

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1993-94 में श्री फूलचंद मुलाना ने राज्य शिक्षा मंत्री के रूप में शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला।

सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन अवधि में विशेषायुक्त एवं सचिव, शिक्षा विभाग के पद पर श्री जी० वी० गुप्ता, आई० ए० एस० रहे तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्री आर. सी. राव, आई. ए. एस. ने कार्य किया।

निदेशालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन अवधि में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पद पर श्री एस. एस. कौशल ने कार्य किया। निदेशालय स्तर पर निम्न पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारू रूप से चलाने में निदेशक महोदय को सहयोग दिया।

क्र. स.	पद	पदों की संख्या
1.	संयुक्त निदेशक	1
2.	उप निदेशक	1
3.	प्रशासन अधिकारी (प्रा. शि.)	1
4.	रजिस्ट्रार शिक्षा	1

जिला स्तर पर

राज्य के प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पर है। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले में प्राथमिक शिक्षा का विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्यरूप देते हैं।

खण्ड स्तर पर

प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए 124 शिक्षा खंडों में बांटा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खंड में प्राथमिक शिक्षा विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रुप से चलाने के लिए अपने जिले के जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी है।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय

सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबंध उनके हैड टीचर के माध्यम से चलाया जाता है। सभी अध्यापक अपने-2 विद्यालयों में विद्यार्थियों को सचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा विभाग के प्रति उत्तरदायी है।

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1993-94 में प्राथमिक शिक्षा पर 11990.27 लाख रुपये की राशि खर्च की गई उनमें से योजनेत्तर पक्ष पर 10402.97 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 1587.30 लाख रूपये, जिसमें 94.10 लाख रूपये के केन्द्रीय प्रचालित स्कीमों के सम्मिलित हैं, व्यय हुए।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

अराजकीय विद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार उदारता पूर्वक अनुदान देती है। अनुरक्षण अनुदान के अंतगर्त राज्य सरकार अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उनके घाटे का 75% तक अनुदान देती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को 125.84 लाख रूपये की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी गई।

इसके अतिरिक्त लोकलबोडिज अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को कोठारी अनुदान के अंतर्गत 3.80 लाख रुपये की राशि दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अराजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता, ग्रेच्युटी आदि के बकाया के भुगतानार्थ 10.69 लाख रूपये की

राशि दी गई। अराजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों के परिवर्तन के कारण कोठारी अनुदान के अंतर्गत 146.10लाख रुपये की राशी अनुदान के रूप में दी गई।

हरियाणा राज्य में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अतः अराजकीय विद्यालयों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 8.01 लाख रुपये की राशि दी गई। अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सरकार द्वारा नियंत्रण में लेने के लिए 30.72 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में खर्च की गई।

हरियाणा वाईल्ड वैलफेयर कौंसिल को 1.43 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई। कैंट बोर्ड/नोकल बोडिज प्राथमिक विद्यालयों को 20,000 रुपये का अनुरक्षण अनुदान दिया गया।

अध्याय दूसरा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3–6 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों को दी जाती है। राज्य में इस समय शिशु शिक्षा के लिए 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय सरकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में समाज के पिछड़े/औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के शिशुओं की देख रेख एवं शिक्षा सुविधा के लिए 20 राजकीय बालवाड़ियां कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्राथमिक, मिडल तथा उच्च विद्यालयों में भी पूर्व प्राथमिक कक्षायें चलती हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं तथा बालवाड़ियों में छात्र संख्या निम्न प्रकार थी :—

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्र संख्या	8331	6510	14841
अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या	268	199	467

अध्यापकों की संख्या

रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों/बालवाड़ियों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	पुरुष	महिला	जोड़
कुल अध्यापक	5	89	94
अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या	—	—	—

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है। इसे देश के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध करवाने के लिए इसका विस्तार एवं विकास अति आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में इसके विस्तार एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इस

समय राज्य में प्राथमिक शिक्षा की सुविधायें 99% ग्रामीण जनता को एक किलो-मीटर के अंदर-2 उपलब्ध हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :

विद्यालयों की संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	4365	940	5305
गैर सरकारी	832	47	379
जोड़	4697	987	5684

छात्र संख्या

विद्यालय अनुसार

	लड़के	लड़कियां	जोड़
कुल छात्र संख्या	449079	452565	901644
अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या	114081	117786	231867

स्तर अनुसार (कक्षा 1–5)

कुल छात्र संख्या	1052964	882541	1935505
अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या	254617	215177	469794
6–11 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यालयों में जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता			
कुल छात्रों की प्रतिशतता	97.34	87.94	92.82
अनुसूचित जाति के छात्रों की प्रतिशता	123.89	112.84	118.57

अध्यापकों की संख्या

(क) संस्था अनुसार (प्राथमिक विद्यालय)

	पुरुष	महिला	जोड़
कुल अध्यापक	9570	9294	18864
अनुसूचित जाति के अध्यापक	764	224	988

(ख) स्तर अनुसार

कुल अध्यापक	19937	20659	40596
अनुसूचित जाति के अध्यापक	1462	456	1918

नामांकन अभियान

6–11 आयु वर्ग के अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों में लाने के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल मास में छात्र नामांकन अभियान चलाया जाता है। वर्ष 1993–94 में भी नामांकन अभियान चलाया गया है। वर्ष 1993–94 में नामांकन अभियान के लिए 10.00 लाख रुपये की बजट में व्यवस्था करवाई गई। इस राशि में से 2.50 लाख रुपये की राशि अधिक से अधिक बच्चे दाखिल करने के लिए इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से व्यापक प्रचार करने के लिए खर्च की जा रही है। शेष राशि विद्यालयों में बच्चों विशेषकर लड़कियों को प्राथमिक श्रेणियों में दाखिल करने तथा विद्यालय शिक्षा जारी रखने में विशिष्ट कार्य करने वाली पंचायतों तथा विद्यालयों को नकद पुरस्कार देने के लिए खर्च की जा रही है।

आदर्श विद्यालय

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला और खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दो-2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय अडाप्ट करके उन्हें आदर्श विद्यालय बनाने के लिए कहा गया है ताकि आस पास के विद्यालयों के लिए वे अनुकरणीय बन सकें। आरम्भ में वर्ष 1992–93 में 280 राजकीय प्राथमिक विद्यालय अडाप्ट किये गये। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में प्राथमिक विद्यालयों के कार्य में सुधार लाने और अन्ततः सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को कवर करने का कार्यक्रम है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्रगति का मूल्यांकन करेगा और अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में दर्शाया जायेगा। 8वी पंचवर्षीय योजना में 700 विद्यालय अडाप्ट करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यन्वित करने में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशंसा पत्र दिये जायेंगे।

शाखा प्राथमिक विद्यालय

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, ऐसे गांवों में जहां 30 या इससे अधिक बच्चे पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं, शाखा प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए सक्षम हैं।

अध्याय तीसरा

विविध

छात्रों को प्रोत्साहन

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को 10/– रुपये प्रति छात्र लेखन सामग्री क्रय हेतु वर्ष में एक बार दिए जाते हैं । वर्ष 1993–94 में 4.67 लाख छात्र/छात्राओं को मुफ्त लेखन सामग्री प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा 46.69 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली 1.49 लाख अनुसूचित जाति की छात्राओं को 178.68 लाख रुपये की राशि 10/- रुपये प्रति छात्रा प्रति मास की दर से उपस्थिति पुरस्कार के रूप में दी गई । अनुसूचित जाति/कमजोर वर्ग की कक्षा 1 –5 में पढ़ने वाली 1.15 लाख छात्राओं को 102.50 लाख रुपये की लागत से मुफ्त वर्दियां दी गई। इस स्कीम के अन्तर्गत पहली तथा दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को छः मीटर कपड़ा दो वर्दियों के लिए तथा तीसरी से 5वीं कक्षा की छात्राओं को चार मीटर कपड़ा एक वर्दी के लिए देने की व्यवस्था है। घुमन्तु जाति के 19161 बच्चों को 38.21 लाख रुपये उपस्थिति पुरस्कार के रूप में वितरित किये गये।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा एक नई योजना आरम्भ की गई । जिसके अन्तर्गत अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों को 25/– रुपये मासिक वजीफा 10 मास के लिए दिया गया । वर्ष 1993-94 में इस स्कीम के अन्तर्गत 19.77 लाख रुपये खर्च हुए। अनुसूचित जातियां एव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की एक अन्य स्कीम के अन्तर्गत डिनोटिफाईड ट्राईब्ज के बच्चों को स्टाईपेंड दिया गया। इस स्कीम पर वर्ष 1993–94 में 6.26 लाख रुपये खर्च किये गये तथा 4162 बच्चे लाभान्वित हुए ।

शाला संगम केन्द्र

प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रहे अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा के स्तर को सम्पन्नत करने के उद्देश्य से शाला संगम योजना चालू की गई थी । इन शाला संगम केन्द्रों में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक प्रतिमास एक दिन एकत्रित होते हैं तथा इस मासिक बैठक में अध्यापक कक्षा सम्बन्धि अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी समय-समय पर भाग लेते है।

एस. सी. ई. आर. टी. हरियाणा गुड़गावां के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती हैं । इस पत्रिका में प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए व्यापक रूप से साहित्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है । यह पत्रिका राजकीय प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रति मास बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते है, जिसमें बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है। नई शिक्षा नीति में भी शाला संगम केन्द्रों के कार्य-क्रम को अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावकारी बनाने की बात की गई हैं।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987-88 में लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 31-3-93 तक 4782 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 2663 प्राथमिक विभाग कवर किये गये। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को 7215 रुपये की वित्तिय सहायता से आवश्यक सामान और सुविधायें दी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक शिक्षण एवं अध्यापन सामग्री जैसे की ब्लेक बोर्ड, फर्नीचर, पुस्तके, नक्शे, खिलौने, चार्ट, मिनीटूल किट तथा ग्लोब आदि के लिए वित्तिय सहायता दी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत 31-3-93 तक 358 एक अध्यापकीय विद्यालयों को एक-2 अतिरिक्त अध्यापक दिया गया है। इन पदों को वर्ष 1993-94 में भी जारी रखने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

केन्द्रीय प्रायोजित विकास कार्यक्रम

रिपोर्टाधीन अवधि में चार जिलों (कैथल, जींद, हिसार तथा सिरसा) जिनमें महिला साक्षरता की दर कम है, को प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत जिला प्राथमिक विकास शिक्षा कार्यक्रम तैयार करने के लिए चुना गया । इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन वर्ष 1994 के मध्य में आरम्भ होगा ।

गुणात्मक सुधार कार्यक्रम

रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्यक्रक शुरू किया गया है। इसके लिएविभाग ने एक कार्य योजना तैयार की है । कार्यवाही के कार्यक्रमों में अन्य बातों के इलावा शैक्षिक वर्ष के शुरू में विद्यालय योजना बनाना और निरीक्षण योजना बनाने के साथ साथ विभिन्न विषयों में परीक्षा लेना और विद्यार्थी प्रगति रजिस्टर मेंनटेन करना शामिल है, ताकि बच्चों की पढ़ाई की प्रगति बारे माता-पिता को सूचना मिलती रहे । कार्यवाही के कुछ कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को हस्तलेख सुधार प्रोजेक्ट चलाने के लिए कहा गया । इस प्रयोजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में खण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर सुलेख प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई । प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर 50,000/- रुपये की राशि पुरस्कार देने के लिए खर्च की गई। कार्यवाही योजना के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति में सुधार लाना, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, ड्रामा कविता उच्चारण प्रतियोगिता और पेपर पढ़ने की प्रतियोगिता शामिल है । बच्चों में अतिरिक्त पाठन की प्रकृति को प्रोत्साहन देने हेतु विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय पीरियड का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्ड स्तर पर स्वच्छता प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया । खण्ड स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को नकद पुरस्कार देने हेतु मौखिक अभिव्यक्ति और स्वच्छता प्रतियोगिता पर क्रमशः 50,000/- रुपये तथा 2.00 लाख रुपये खर्च किये गये ।

बुक बैंक

राज्य में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों तथा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु बुक बैंकों की स्थापना की हुई है। इन बुक बैंकों द्वारा कक्षा एक के विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष के लिए तथा कक्षा 2–5 तक के विद्यार्थियों के लिए दो वर्ष के लिए वापसी आधार पर पाठ्य पुस्तकें दी जाती है। वर्ष 1993–94 में बुक बैंकों पर 23.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई तथा 1.13 लाख के लगभग बच्चे लाभान्वित हुए।

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यह विषय नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। वर्ष 1993–94 में 1000 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 500/– रूपये प्रति विद्यालय की दर से सरकार द्वारा पांच लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

निर्माण कार्य

राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों को भवन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता के प्रति काफी जागरूक है। वर्ष 1993–94 में 100 लाख रुपये तथा 40 लाख रूपये की व्यवस्था क्रमशः प्लान तथा नान प्लान बजट में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण तथा मुरम्मत हेतु की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्माण कार्यक्रमों के लिए 1150 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रेणी कमरों/भवनों के निर्माण के लिए 150.00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई थी।

खेल एवं स्वास्थ्य शिक्षा

खेल एवं स्वास्थ्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष खेल सामान आदि के लिए 15 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 500 विद्यालयों को 3,000/– रुपये की राशि प्रति विद्यालय के हिसाब से खेल सामग्री दी जा रही है। यह योजना 8वीं योजना में जारी रहेगी। वर्ष 1993–94 में इस योजना के अन्तर्गत 15 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

दरी पट्टी

प्राथमिक विद्यालयों को बच्चों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा हर वर्ष विद्यालयों को दरी-पट्टी उपलब्ध करवाने का प्रोग्राम है। वर्ष 1993-94 में इस योजना के अंतर्गत 15.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

मुख्य शिक्षकों की नियुक्ति

हरियाणा राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में अनुशासन एवं प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य शिक्षक का पद स्वीकृत किया गया है। अप्रैल 1993 में 1270 जे0 बी0 टी0 अध्यापकों को पदोन्नत करके मुख्य शिक्षकों के पदों पर लगाया गया है। इससे प्राथमिक विद्यालयों में अनुशासन एवं कार्यशैली में काफी सुधार हुआ है

जे०बी०टी० के पदों को बी०एड० के पदों में बदलना

राज्य सरकार ने माध्यमिक कक्षाओं के लिए स्वीकृत 2068 जे०बी०टी० अध्यापकों के पदों को बी0 एड० मास्टर के पदों में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी। अतः माध्यमिक कक्षाओं में इन पदों के विरुद्ध कार्य कर रहे जे0 बी0 टी0 अध्यापकों को वहां से निकाल कर आवश्यकतानुसार प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों के विरुद्ध लगाया गया। इससे प्राथमिक विद्यालयों में जे0 बी0 टी० की कमी काफी हद तक दूर हो गई।

सारणी–1

वर्ष 1993–94 में जिलेवार प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

क्र0 सं0	जिले का नाम	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला	449	41	490
2.	भिवानी	301	55	356
3.	फरीदाबाद	322	79	401
4.	गुड़गावां	423	127	550
5.	हिसार	333	101	434
6.	जींद	155	98	253
7.	कैथल	163	40	203
8.	करनाल	319	28	347
9.	कुरुक्षेत्र	441	47	488
10.	नारनौल	291	59	350
11.	पानीपत	126	21	147
12.	रिवाड़ी	259	22	281
13.	रोहतक	268	97	365
14.	सिरसा	217	87	304
15.	सोनीपत	260	65	325
16.	यमुनानगर	370	20	390
	हरियाणा	4697	987	5684

सारणी–2

वर्ष 1993-94 में जिलेवार संस्थानुसार अध्यापकों की संख्या (प्राथमिक विद्यालय)

क्र0 सं0	जिले का नाम	कुल अध्यापक संख्या			अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या		
		पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	452	953	1405	28	59	87
2.	भिवानी	687	669	1356	32	11	43
3.	फरीदाबाद	704	394	1098	70	6	76
4.	गुड़गांवां	856	650	1506	53	6	59
5.	हिसार	746	664	1410	82	9	91
6.	जींद	675	326	1001	37	5	42
7.	कैथल	309	181	490	19	2	21
8.	करनाल	989	1182	2171	74	13	87
9.	कुरुक्षेत्र	622	861	1483	60	18	78
10.	नारनौल	563	335	898	54	1	55
11.	पानीपत	331	248	579	21	1	22
12.	रिवाड़ी	573	342	915	53	11	64
13.	रोहतक	625	808	1433	40	34	74
14.	सिरसा	326	453	779	45	10	55
15.	सोनीपत	660	664	1324	41	30	71
16.	यमुनानगर	452	564	1016	55	8	63
	हरियाणा	9570	9294	18864	764	224	988

सारणी–3

वर्ष 1993–94 में जिलावार संस्थानुसार छात्र संख्या (प्राथमिक विद्यालय)

क्र0 सं0	जिले का नाम	कुल छात्र संख्या			अनुसूचित जाति की छात्र संख्या		
		लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	35847	32979	68826	13203	11831	25034
2.	भिवानी	41828	43694	85522	8584	8622	17206
3.	फरीदाबाद	30996	30484	61480	7329	8543	15872
4.	गुड़गावां	34461	31578	66039	6215	7798	14013
5.	हिसार	34169	36701	70870	8721	10049	18770
6.	जींद	24691	27976	52667	6051	6688	12739
7.	कैथल	14264	15180	29444	4063	3829	7892
8.	करनाल	27124	27628	54752	7529	7503	15032
9.	कुरुक्षेत्र	36883	32335	69218	8691	7640	16331
10.	नारनौल	21849	24660	46509	4226	5338	9564
11.	पानीपत	14247	14719	28966	3463	3305	6768
12.	रिवाड़ी	21672	23644	45316	5556	5837	11393
13.	रोहतक	29658	28044	57702	5559	5772	11331
14.	सिरसा	17495	20665	38160	5306	6158	11464
15.	सोनीपत	29583	30562	60145	5819	5841	11660
16	यमुनानगर	34312	31716	66028	13766	13032	26798
	हरियाणा	449079	452565	901644	114081	117786	231867

27425—D.P.I.—H.G.P., Chd.

DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9322
Date 22-10-96
NIEPA DC
D09322